

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018-आषाढ़ 15, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2018

क्रमांक/985.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 के विनियम 20(3) के उपरांत निम्नानुसार क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट की जाती हैं:-

4. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 यथा संशोधित द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018, तथा वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक आर-298/1018/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 27 अप्रैल, 2018.
5. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976.
6. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (अवकाश) नियम, 1977.
7. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के लिये तथा आदेशानुसार.

(245-बी.)

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 20 June, 2018

No. 985.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Madhya Pradesh Pollution Control Board

with the prior approval of the State Government, in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and II) (Recruitment and Conditions of Service) Regulation 1996 following serial numbers and enteries are inserted after regulation 20(3) :-

4. The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhinyarn, 1967 as amended vide Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhyadesh 2018, and order of the Finance department, Govt. of M.P. No R-298/1018/2018/niyam/four Bhopal dated 27-4-2018.
5. Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules 1976.
6. Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules 1977.
7. Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules 1958.

**For & on behalf of M.P.
Pollution Control Board.**

(245-A-B.)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2018

क्र./986.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (चतुर्थ श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 के विनियम 4 के उपरांत निम्नानुसार क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट की जाती हैं:-

5. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 यथा संशोधित द्वारा वित्त विभाग का आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2018.
6. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976.
7. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (अवकाश) नियम, 1977.
8. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958.

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के लिये तथा आदेशानुसार.**

(246-बी.)

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 20 June, 2018

No.986—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Madhya Pradesh Pollution Control Board with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class-IV). Service Recruitment Regulation 1996 following serial numbers and enteries are inserted after regulation 4 :-

5. The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshik i-Ayu) Adhinyarn, 1967 as amended by finance department, Govt. of M.P. dated 20-01-2000.
6. Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules 1976.
7. Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules 1977.
8. Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules 1958.

**For & on behalf of M.P.
Pollution Control Board.**

(246-A-B.)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2018

क्र./987.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा-12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम, 1996 के विनियम 20(3) के उपरांत निम्नानुसार क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट की जाती हैं:-

4. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 यथा संशोधित द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018, तथा वित्त विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक आर-298/1018/2018/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2018.
5. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976.
6. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (अवकाश) नियम, 1977.
7. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के लिये तथा आदेशानुसार.

(247-बी.)

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 20 June, 2018

No. 987.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 or the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Madhya Pradesh Pollution Control Board with the prior approval of the State Government in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and II) (Recruitment and Conditions of Service) Regulation 1996 following serial numbers and entries are inserted after regulation 20(3) :-

4. The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhinyam. 1967 as amended vide Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhyadesh 2018, and order of the Finance department, Govt. of M.P. No R-298/ 1018/2018/nyam/ four Bhopal Dated 27-04-2018.
5. Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules 1976.
6. Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules 1977.
7. Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules 1958.

For & on behalf of
M.P. Pollution Control Board
A. A. MISHRA,
Member Secretary.

(247-A-B.)

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

मुख्य अभियन्ता(योजना एवं रूपांकन)

जबलपुर, दिनांक 08 जून, 2018

क्र.-04-02/195/यो.रूपां./1306.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंस) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) नाम : ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.

- (2) **परियोजनाओं का विवरण** : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-
- (I) **220 के.व्ही. के कार्य :-**
- (i) **पारेषण लाईनें :-**
1. इटारसी 400 (पीजीसीआईएल) से बुधनी 220 के.व्ही डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-35 कि.मी. अनुमानित लागत-3130 लाख रु.
- (ii) **नये उपकेंद्र की स्थापना :-**
1. बुधनी, (जिला-सीहोर) में 1x160 एमव्हीए 220/132 केव्ही एवं 1x50 132/33 केव्ही क्षमता का नया 220/132 केव्ही उपकेंद्र की स्थापना, कुल अनुमानित लागत-3800 लाख रु.
- (ii) **अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :-**
1. 220 केव्ही. उपकेन्द्र नरसिंहपुर (जिला-नरसिंहपुर) में 160 एमव्हीए 220/132 केव्ही क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1417 लाख रु.
 2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र पनागर (जिला-जबलपुर) में 160 एमव्हीए 220/132 केव्ही क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1425 लाख रु.
 3. 220 केव्ही उपकेन्द्र मुरैना (जिला-मुरैना) में 160 एमव्हीए 220/132 केव्ही क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1388 लाख रु.
 4. 220 केव्ही उपकेन्द्र अशोकनगर (जिला-अशोकनगर) में 160 एमव्हीए 220/132 केव्ही क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1416 लाख रु.
400 केव्ही उपकेन्द्र कटनी (जिला-कटनी) में 160 एमव्हीए 220/132 केव्ही क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1420 लाख रु.
- (II) **132 केव्ही के कार्य :-**
- (i) **पारेषण लाईनें :-**
1. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र नेपानगर से प्रस्तावित 132 केव्ही उपकेन्द्र पीपलपानी को जोड़ने के लिये नेपानगर-धारणी (महाराष्ट्र) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन का 220 केव्ही उपकेन्द्र नेपानगर से लोके.नं. 120 तक द्वितीय सर्किट का कार्य (34.8 कि.मी.) तथा लोके.नं. 120 से प्रस्तावित 132 केव्ही उपकेन्द्र पीपलपानी तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य (1.5 कि.मी.), कुल लंबाई 36.3 कि.मी. अनुमानित लागत - 814 लाख रु.
 2. निमरानी 220 केव्ही से जेतापुर पलासिया तक 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत - 1599 लाख रु.
 3. पीथमपुर- बागड़ी 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन के एक सर्किट का 132 के.व्ही. उपकेंद्र नेट्रिप पीथमपुर के लिए लीलो कार्य, लंबाई 10 कि.मी. अनुमानित लागत - 619 लाख रु.
 4. बुधनी 220- मोहासा बाबई 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-30 कि.मी. अनुमानित लागत-2314 लाख रु.
 5. इटारसी 220- नसरूल्लागंज 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाईन का 132 के.व्ही. उपकेंद्र बुधनी के लिए लीलो कार्य, लंबाई 20 कि.मी. अनुमानित लागत - 1479 लाख रु.
 6. शिवपुरी 220- कराहल 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-80 कि.मी. अनुमानित लागत-5676 लाख रु.
 7. 132 के.व्ही. बिरसिंहपुर- उमरिया लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लंबाई-35.3 कि.मी. अनुमानित लागत-842 लाख रु.

(ii) नये उपकेन्द्र की स्थापना :-

1. जेतापुर पलासिया (जिला-इंदौर) में 63 एमव्हीए 132/33 केव्ही क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना अनुमानित लागत-1700.00 लाख रु.
2. नेट्रिप पीथमपुर (जिला-धार) में 63 एमव्हीए क्षमता 132/33 केव्ही के नये उपकेन्द्र की स्थापना अनुमानित लागत-1700.00 लाख रु.
3. मोहासा बाबई (जिला-होशंगाबाद) में 63 एमव्हीए क्षमता 132/33 केव्ही के नये उपकेन्द्र की स्थापना अनुमानित लागत 1700.00 लाख रु.
4. पीपलपानी (जिला-देवास) में 50 एमव्हीए क्षमता 132/33 केव्ही के नये उपकेन्द्र की स्थापना अनुमानित लागत-1559 लाख रु.
5. कराहल (जिला-शयोपुर) में 50 एमव्हीए क्षमता 132/33 केव्ही के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1591 लाख रु.

(iii) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :-

1. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र इन्दौर (पूर्व) (जिला-इन्दौर) में 50 एमव्हीए 220/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-900 लाख रु.
2. 400 केव्ही उपकेन्द्र आष्टा (जिला-सीहोर) में 50 एमव्हीए 220/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत- 830 लाख रु.
3. 220 केव्ही उपकेन्द्र सागर (जिला-सागर) में 50 एमव्हीए 220/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना अनुमानित लागत-814 लाख रु.
4. 132 केव्ही उपकेन्द्र बरोठा (जिला-देवास) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत- 610 लाख रु.
5. 132 केव्ही उपकेन्द्र बनखेड़ी (जिला-होशंगाबाद) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना अनुमानित लागत-485 लाख रु.
6. 220 केव्ही उपकेन्द्र ग्वालियर-II (जिला-ग्वालियर) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही.क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-610 लाख रु.
7. 132 केव्ही उपकेन्द्र ईशागढ़ (जिला-अशोकनगर) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-598 लाख रु.
8. 132 केव्ही उपकेन्द्र बड़ागांव (दिमनी) (जिला-भिंड) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-598 लाख रु.
9. 132 केव्ही उपकेन्द्र खुरई (जिला-सागर) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-610 लाख रु.
10. 132 केव्ही उपकेन्द्र मऊगंज (जिला-रीवा) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-610 लाख रु.
11. 132 केव्ही उपकेन्द्र अन्दड़ (जिला-खरगौन) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-610 लाख रु.
12. 132 केव्ही उपकेन्द्र सिरमौर (जिला-रीवा) में 50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का एक नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-610 लाख रु.

(iv) ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि :-

1. 132 केव्ही उपकेन्द्र बरमान (जिला-नरसिंहपुर) में 40 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के स्थान पर 63 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-664 लाख रु.
2. 132 केव्ही उपकेन्द्र अमरपाटन (जिला-सतना) में 40 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के स्थान पर 63 एमव्हीए 132/33 के. व्ही. क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-664 लाख रु.

(v) 132 केवी फीडर बे निर्माण कार्य :-

बिरसिंहपुर (1), उमरिया (1), नेपालगर 220 (1) निमरानी 220 (2), बुधनी 220 (2), कुल 07 नंबर फीडर बे, अनुमानित लागत - 700 लाख रु.

(III) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :-

1. 400के.व्ही. उपकेन्द्र से नर्मदा विकास संभाग-13 खण्डवा (एन.व्ही.डी.ए.) के ग्राम डोंगरगांव, खण्डवा में छेगांव माखन लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को 18.6 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1x16 कि.मी., अनुमानित लागत- 1441 लाख रु.

2. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र अलीराजपुर से नर्मदा विकास संभाग-16 कुक्षी (एन.व्ही.डी.ए.) के अलीराजपुर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को विद्युत आपूर्ति हेतु पम्प हाउस क्रमांक-2 ग्राम वालपुर तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन एवं तत्पश्चात पम्प हाउस क्रमांक-1 ग्राम झण्डाना, ककराना जिला-अलीराजपुर तक 132 के. व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 2x20+1x11 कि.मी., अनुमानित लागत-2193 लाख रु.

3. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र बोरगांव से मेसर्स रेमण्ड लिमिटेड बोरगांव जिला छिंदवाड़ा को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही.डी.सी. एस.एस. लाईन का निर्माण-कार्य, लंबाई 1x0.7 कि.मी., अनुमानित लागत-183 लाख रु.

4. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र चौरई से दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे के प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र काराबोह जिला छिंदवाड़ा को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1x2.0 कि.मी., अनुमानित लागत-247 लाख रु.

5. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र मण्डला से दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे के प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र मण्डला फोर्ट जिला-मण्डला को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1x10.0 कि.मी., अनुमानित लागत-587 लाख रु.

6. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंदौर द्वारा रा.रा. क्र.-3 के ब्यावरा-देवास खण्ड के मध्य 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. एस.सी. शाजापुर-मक्सी लाईन के लोके. क्रमांक 175 से 185 के मध्य विस्थापन कार्य, लंबाई 1x1.0 कि.मी., अनुमानित लागत - 70 लाख रु.

7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंदौर द्वारा रा.रा. क्र.-3 के ब्यावरा-देवास खण्ड के मध्य 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. शाजापुर-मोमन बड़ोडिया लाईन के लोके. क्रमांक 76 से 82 के मध्य विस्थापन कार्य, लंबाई 2x1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-133 लाख रु.

8. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र सिवनी से दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे के प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र भौमा जिला-सिवनी को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1x25.0 कि.मी., अनुमानित लागत- 1245 लाख रु.

(IV) कुल अनुमानित लागत :-

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 516.00 करोड़ है.

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं.

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

के. के. श्रीवास्तव,

मुख्य अभियंता,

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,

शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

CHANGE OF NAME

We Father Abhinav Singh and mother Neha Lamba have changed our daughter's name from AAMRIYA AHUJA to AMAYRA SINGH as per the affidavit dated 22-06-2018.

(233-B.)

ABHINAV SINGH,
D-14, Basant Vihar, Gwalior.

नाम परिवर्तन

हमारी पक्षकारा श्रीमती सुनीता सिंह पत्नि श्री जसवन्त सिंह का विवाह दिनांक 07-05-2004 को संपन्न हुआ था. हमारी पक्षकारा की समस्त शिक्षा-दीक्षा क. सुनीता जाटव पुत्री रामगोपाल जाटव के नाम से पूर्ण हुई हैं.

हमारी पक्षकारा शादी पश्चात् अपना उपसरनेम पति के सरनेम सिंह के आधार पर परिवर्तन करना चाहती है. शादी के पश्चात् हमारी पक्षकारा समस्त समव्यवहार सुनीता जाटव के स्थान पर सुनीता सिंह पत्नि श्री जसवन्त सिंह के नाम से समव्यवहार करेगी. विभाग में, बैंकों में एवं अन्य जगह पर आवश्यकतानुसार समव्यवहार इसी नाम से करेगी एवं भविष्य में भी इसी नाम से जानी-पहचानी जायेगी.

(234-बी.)

VIJAY SUNDARAM,
(Advocate)
318, Suresh Nagar Gwl-11.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नीता मोतियानी पुत्री श्री अशोक कुमार मोतियानी हैं, विवाह पश्चात् उक्त नाम परिवर्तन होकर हर्षिता सतानी पत्नी श्री दीपक सतानी हुआ है तथा अब मैं, इसी नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
(नीता मोतियानी)

नया नाम :
(हर्षिता सतानी)
ओल्ड बी/14, बैरागढ़,
भोपाल (म.प्र.).

(235-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को अवगत किया जाता है कि मेरा नाम शासकीय सेवा पद सहायक अध्यापक शा. प्रा. वि. चरौली (खड़ौआ) में नरेन्द्र विरथरिया व शैक्षणिक दस्तावेजों में नरेन्द्र कुमार विरथरिया है जबकि मतदाता सूची, वोटर कार्ड व बच्चों की अंकसूची में नरेन्द्र विरथरे अंकित है. आज के बाद मुझे मेरे उपनाम नरेन्द्र विरथरे के नाम से जाना-पहिचाना जाये व मेरे शासकीय सेवा अभिलेखों, पेन्शन एवं अन्य सभी दस्तावेजों में भी मेरा नाम नरेन्द्र विरथरे किया जाये. नरेन्द्र विरथरे ग्राम व पोष्ट गोहिन्दा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश.

पुराना नाम :
(नरेन्द्र कुमार विरथरिया)

नया नाम :
(नरेन्द्र विरथरे)

(236-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रशांत शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा, पुरानी पुलिस लाईन मकान नं. 70, है जिसका नाम परिवर्तन कर प्रशांत शर्मा के स्थान पर राज शर्मा संबोधित किया जाये तथा राज शर्मा के नाम से जाना जाये. मेरा अब समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों विभागों इत्यादि में राज शर्मा अंकित करेंगे तथा पूर्व में प्रशांत शर्मा के नाम से जो भी दस्तावेज हैं उन्हें राज शर्मा के नाम से परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जाये.

रमेश मिश्रा,
(एडवोकेट),
73, राजेश्वरी रोड "जगदीश निवास"
शिवपुरी (म.प्र.).

(237-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में शालिनी पत्नी शैलेश पाटनी, निवासी गुना मध्यप्रदेश था. अब नाम बदलकर जूली पाटनी पत्नी शैलेश पाटनी, गुना मध्यप्रदेश हो गया है. आज दिनांक से मुझे जूली पाटनी पत्नी शैलेश पाटनी से जाना जाए व पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

(शालिनी)

(252-बी.)

नया नाम :

(जूली पाटनी)

पत्नी शैलेश पाटनी,

पता-31-ए, इण्डस्ट्रियल स्टेट,

गुना (म.प्र.).

CHANGE IN NAME

I, Sanjay Kumar Soni S/o Kadava Soni here by declare that I have change my son name as old name Priyansh Soni S/o Sanjay Soni and new name Priyaansh Sanjay Soni in 16 years being student from now and in future. I will be known by my new name.

SANJAY KUMAR SONI,

R/o-1034, Warnanga, Ahmadpur,

Khegaon, Khandwa (M.P.).

(253-B.)

PUBLIC NOTICE

M/s Krishak Diesel Centre, Main Rd. Lateri (Distt. Vidisha 464114). Partnership Firm Registration No. 12/825/2006, Date 11-09-2006 in Registrar Firms & Society Bhopal. Now One of the Partner, Lt. Mr. Seth Rajmal Jain S/o Lt. Kundanlal Jain, Resident of 25, Jain Mandir Rd., Chowk Bhopal, Has been Expired On 16-04-2016. So, the above said partnership firm Dissolved From 16-04-2016.

For-Krishak Diesel Center,

SATISH C. JAIN,

(Proprietor).

(238-B.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सुप्रीम इंटरप्राइसेस फर्म जिसका पता-फ्लैट नं. 101, 56, विष्णुपुरी एनएक्स, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0011/18, दिनांक 13-04-2018 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री राजेंद्र सिंह खेरा पिता श्री हरजीत सिंह खेरा, 2. श्री सतबीर सिंह सलूजा पिता श्री जोगिन्दर सिंह सलूजा एवं श्रीमति गजल सलूजा पति श्री पलाश सलूजा थे तत्पश्चात् दिनांक 05-03-2017 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री रविंदर सिंह सलूजा पिता स्व. श्री गुरुबचन सिंह सलूजा, 2. श्री तरनजीत सिंह खनुजा पिता श्री जोगेंद्र सिंह खनुजा, 3. श्री नवदीप सिंह खनुजा पिता श्री रविंदर सिंह खनुजा, 4. श्री परमजीत सिंह खनुजा पिता श्री जोगेंद्र सिंह खनुजा उक्त भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं श्रीमति गजल सलूजा पति श्री पलाश सलूजा उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं. इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स सुप्रीम इंटरप्राइसेस से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे,

मेसर्स सुप्रीम इंटरप्राइसेस,

1. श्री राजेंद्र सिंह खेरा, 2. श्री सतबीर सिंह सलूजा,
3. श्री रविंदर सिंह सलूजा, 4. श्री तरनजीत सिंह खनुजा,
5. श्री नवदीप सिंह खनुजा 6. श्री परमजीत सिंह खनुजा.

(भागीदार).

(239-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स साँवरिया ग्रेनाईट, दिनांक 18-07-2017 से पंजीकृत साझेदारी फर्म के रजिस्टर क्रमांक 02/42/01/0184/17, दिनांक 04-10-2017 को पंजीकृत है, का पता गुरी वाला का बाड़ा, दाल बाजार, ग्वालियर (म.प्र.) से बदलकर डफरिन सराय कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एम. एल. बी. रोड, पड़ाव, ग्वालियर-474002 (म.प्र.) हो गया है. फर्म मेसर्स साँवरिया ग्रेनाईट के साझेदार

श्री सौरभ नीखरा पुत्र श्री उमाकांत नीखरा, निवासी दाल बाजार, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) पै न क्रमांक ADSPN1328D स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा उनके स्थान पर श्री राहुल सिंघल पुत्र श्री विष्णु सिंघल, निवासी फ्लैट क्रमांक 502, सत्यम अपार्टमेंट, अलकापुरी तिराहा, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.) पै न क्रमांक GMGPS1290J साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। फर्म में एक नवीन साझेदार श्री दिनेश सिंघल पुत्र स्व. श्री मेघराज सिंघल, निवासी जे-47, गाँधीनगर, ग्वालियर (म.प्र.) पै न क्रमांक AHIPS2126A को अन्य साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

वास्ते: मैसर्स साँवरिया ग्रेनाईट,
रेनू सिंघल,
(भागीदार)

(240-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड में नवनीत ट्रेडर्स पता-274, कल्लनगंज, खण्डवा कि रचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है-श्री हरकचंद फूलचंद जैन, पता-71, रामकृष्णगंज, खण्डवा, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से भागीदारी फर्म से पृथक् हुए, भागीदारी फर्म में श्री आदित्य जैन पिता श्री नवीश जैन, पता-71, रामकृष्णगंज, खण्डवा इसी दिनांक से नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। साथ ही फर्म के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता परिवर्तित किया गया है, फर्म का नया पता 99/1, जैन मंदिर के सामने, बजरंग चौक, रामकृष्णगंज वार्ड, खण्डवा (म.प्र.) 450001 पर हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

में. नवनीत ट्रेडर्स,
नितिन जैन,
(भागीदार)
99/1, जैन मंदिर के सामने, बजरंग चौक,
रामकृष्णगंज वार्ड, खण्डवा (म.प्र.)

(241-बी.)

आम सूचना

मेसर्स माँ पद्मा कन्स्ट्रक्शन पता-16, सराफा बाजार, जबलपुर (म.प्र.) में दिनांक 01-05-2005 में भागीदारी फर्म के रूप में निर्माण हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/14/01/00017/05 है। जिसमें भागीदार 1. श्री राजेश मिश्रा आत्मज स्व. श्री डालचंद मिश्रा, 2. श्री अखिलेश तिवारी आत्मज श्री राम सहोदर तिवारी, 3. श्री सिद्धार्थ पटेरिया आत्मज आर. एन. पटेरिया, 4. श्री पवन समदड़िया आत्मज अजीत समदड़िया, 5. श्री लखन घनघोरिया आत्मज श्री शिवलाल घनघोरिया है तथा दिनांक 30-04-2018 को नए भागीदार श्री कुबेर समदड़िया आत्मज श्री किशोर समदड़िया एवं श्री संदीप तिवारी आत्मज राम सहोदर तिवारी फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं तथा दो भागीदार श्री लखन घनघोरिया एवं सिद्धार्थ पटेरिया अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा फर्म का पता भागीदारी अभिलेख के अनुसार ही रहेगा।

मेसर्स माँ पद्मा कन्स्ट्रक्शन,
पवन समदड़िया,
(Partner)
जिला जबलपुर (म.प्र.)

(242-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कटारे एण्ड कम्पनी स्थित 27/1038, किचलू सहाब का बाड़ा, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00138/10, दिनांक 20-10-2011 है। जिसमें दिनांक 01-12-2017 को भागीदार गौरव कटारे पुत्र श्री राजेश कटारे, निवासी किचलू सहाब का बाड़ा, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01-12-2017 से सौरभ कटारे पुत्र श्री राजेश कटारे, निवासी किचलू सहाब का बाड़ा, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

फर्म-कटारे एण्ड कम्पनी,
राजेश कटारे
(भागीदार)
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

(243-बी.)

NOTICE**(U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that the firms " BABA STONES AND EARTH MOVERS" of Bhopal vide Reg. No. 0224/17-2017-2018 date' 24/08/2017 undergone the following changes:-

1. That Miss Shashi Singh D/o Shri Sultan Singh, has joined the firm w.e.f 20/04/2018 and Shri Ravinder Singh S/o Shri Dambar Singh had desired to retire from the partnership firm w.e.f. 20/04/2018.

" Baba Stones and Earth Movers"
OM PRAKASH CHANDRAWANSHI,
(Partner).

D-40, Amra Estate, Kolar Road,
Bhopal 462042.

(248-B.)

PUBLIC NOTICE

It is informed to general public M/s UNITY PULP & PAPERS registered firm as per the Indian Partnership Act, 1932 having office situated at Industrial Estate, Kheda, Itarsi (MP). The firm was incorporated on dated 03.10.1995 with three Partners namely Shri Kailash Dongre, Smt. Maya Kathal and Smt. Kalpana Sharma and further Shri S.K. Kathal and Shri Manmeet Singh had been admitted on dated 01.04.2005 and further Shri Abhimanyu Kathal and Smt. Arti Sandhu and Smt. Madhulika Dongre had been admitted on 12.03.2012 and further Shri S.K. Kathal had been retired (due to death) from the firm on dated 08.04.2013 and further Smt. Kalpana Sharma had been retired from the firm on dated 01.04.2014 and further Shri Kailash Dongre and Smt. Madhulika Dongre had been retired from the firm on dated 31.03.2016. Now the firm has been admitted three new partners, namely Smt. Akanksha Gupta and Shri Aman Singh Sandhu and Smt. Shweta Kathal dated 01.06.2018. As on date the partners of the firm are as under:

- i. Smt. Maya Kathal
- ii. Shri Manmeet Singh
- iii. Smt. Arti Sandhu
- iv. Shri Abhimanyu Kathal
- v. Smt. Akanksha Gupta
- vi. Shri Aman Singh Sandhu
- vii. Smt. Shweta Kathal

It is informed to general public that above mentioned firm M/s UNITY PULP & PAPERS (Partnership firm), Itarsi, MP having above mentioned Seven Partners is going to be converted in a Private Limited Company under Companies Act, 2013 and this information in this regard under Indian Partnership Act, 1932 and Companies Act, 2013 will be publish in Indian Gazette.

For and on behalf of
M/s Unity Pulp & Papers,
MANMEETSINGH,
ABHIMANYUKATHAL,
(Partner).

(249-B.)

Industrial Estate, Kheda, Itarsi (M.P.).

NOTICE

Notice under Section 72 of Indian Partnership Act, 1932 and Rules made their under for reconstitution in Partnership Firm of TIRUPATI ONLINE SERVICES.

Notice is hereby given for public information that following changes had been made in the firm M/s Tirupati Online Services, 206-207, Rajani Bhawan, 569 M.G. Road, Indore:-

Shri Pankaj Kumar Saklecha S/o Lt. Shri Prakash Chand Saklecha and Smt. Trapti Saklecha W/o Shri Pankaj Kumar Saklecha, was admitted as partner in the partnership business of the firm with effect from 17/03/2016 and Shri Prakash Chand Saklecha S/o Lt. Shri Nandlalji Saklecha, was retired from firm w.e.f 17/03/2016 due to Death thus constitution of the firm stands altered accordingly .

Now Shri Ajay Kumar Jain S/o. Shri Sanat Kumar Jain, R/o. 203, Singhania House, Footi Kothai, Indore (M.P.) and Smt. Trapti Saklecha W/o Shri Pankaj Kumar Saklecha R/o 86, Tilak Nagar Ext. Indore (M.P.) has been resigned from the firm as partner w.e.f. 31-03-2018 thus constitution of the firm stands altered accordingly and now it is proprietorship firm.

For : Tirupati Online Services
PANKAJ KUMAR SAKLECHA,
(Partner)

(251-B.)

सूचना

मैसर्स कल्यानी लेजर 278, ओमेक्स सिटी-1, बायपास मायाखेड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र. 0049/18, दिनांक 17 मई, 2018 में हमारे फर्म के नये पार्टनर श्री नवीन कुमुद पिता श्री प्रेमसुख कुमुद, निवासी 278, ओमेक्स सिटी-1, बायपास, इन्दौर दिनांक 01-06-2018 से नवीन पार्टनर के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

प्रो-मैसर्स कल्यानी लेजर,
प्रेमसुख कुमुद,
(भागीदार).

(244-बी.)

जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. अंक इंजीनियर्स, पता 301, आकांशा ट्रेड सेंटर, 156, कंचन बाघ, इन्दौर 452001 (म.प्र.) है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 662, दिनांक 19-12-1990 है जिसमें भागीदार श्री अपूर्व जोशी पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी 54 माणिक बाघ रोड, प्रताप नगर, इन्दौर एवं श्री नानिक बजाज पुत्र श्री द्वारका दास बजाज, निवासी 202, 22/10, आशीर्वाद ऐवन्यू, वाय. न. रोड, इन्दौर है. दिनांक 16-03-2014 को उपरोक्त फर्म को अंक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत कम्पनी) ने अधिग्रहण (खरीद) कर लिया, जिसके एवज में उपरोक्त भागीदारों को उनकी पूंजी के बराबर के शेयर दिए गए हैं तथा 16/03/2014 से फर्म कि सारी संपत्ति और देनदारी तथा लेनदारी उपरोक्त कम्पनी की है. इसी विषय में आगे सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दिनांक से अंक इंजीनियर्स किसी भी तरह से कार्यरत नहीं है.

मैसर्स अंक इंजीनियर्स,
नानिक बजाज,
(भागीदार).

(250-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद एण्ड सन्स की पार्टनरशिप डीड फर्म के रूप में संयुक्त पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएँ, इन्दौर में पंजीकृत है. फर्म में दिनांक 01-06-2018 को इमरान खान पिता इल्यास खान, निवासी 46, भिश्ती मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है एवं फर्म में शादाब खान पिता इल्यास खान, निवासी 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर मध्यप्रदेश दिनांक 01-06-2018 को सेवानिवृत्त होकर फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है.

मेसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद एण्ड सन्स,
इकबाल खुर्शीद.

(254-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 22 जून, 2018

निविदा सूचना

क्र. जी. बी. चार/(14)2017-18/1689.-ऑनलाईन ई-टेंडरिंग वेबसाईट www.mpeproc.gov.in से लिफाफा निर्माताओं से विधानसभा निर्वाचन, 2018 के 22 प्रकार के लिफाफों के मुद्रण, बाइंडिंग कर प्रदाय हेतु 80 जीएसएम के पेपर सहित मुद्रण, बंधन एवं प्रदाय की समस्त कर सहित प्रति हजार की दरें की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 16 जुलाई, 2018 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी।

ऑनलाईन निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी रखा गया है।

(663)

Bhopal, Dated 22nd June, 2018

TENDER NOTICE

No. GB-IV-Paper(14)2017-18/1689.-*Online Bidding are invited on www.mpeproc.gov.in from the Envelopes making unit for the supply of 22 Different kinds of Envelopes for the Vidhan Sabha Election 2018. Rates are including 80 GSM paper, printing, Binding and other charges per Thousand Envelops with all taxes are invited as per key dates. The envelope of hard Copy and downloading of E-tender documents on 16-07-2018 at 4.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.*

2. In all respects Complete Hard Copy of Tender document, certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates.

3. Tender Notice and conditions of tender with technical details are also available at website www.govtpressmp.nic.in and for Online Bidding go through website www.mpeproc.gov.in

RAJESH KOUL,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(663-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़

प्र.क्र.02/बी-113(1)2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 14 जून, 2018

प्रपत्र क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

माता श्री जगदम्बा बड़ी देवी मंदिर पुरानी टेहरी, टीकमगढ़ धर्म सेतू लोक न्यास, टीकमगढ़ द्वारा अध्यक्ष राजकुमार यादव एवं अन्य टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) एवं अन्य द्वारा आवेदन में वर्णित न्यास/ न्यासीगण एतद्वारा मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित अचल सम्पत्ती एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित चल सम्पत्ती का पंजीयन लोक न्यास में करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 16-07-2018 को उक्त आवेदन पर विचार किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ती के संबंध में हित रखता है और कोई आपत्ती (या सुझाव) प्रस्तुत करना चाहता है, तो इस सूचना के प्रकाशन

से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 16-07-2018 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट -1

(लोक न्यास और चल सम्पत्ती का विवरण)

लोक न्यास का नाम :- “ माता श्री श्री 1008 श्री जगदम्बा बड़ी देवी मंदिर पुरानी टेहरी, टीकमगढ़ धर्म सेतू लोक न्यास टीकमगढ़.”

चल सम्पत्ति :-

माता श्री श्री 1008 जगदम्बा बड़ी देवी जी

1.	एक मुकुट चांदी का मुकुट, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये
2.	एक चांदी का छत्र, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये
3.	एक नग सोने की नथ, अनुमानित कीमत	3000 /- रुपये
4.	एक मोती की माला, अनुमानित कीमत	1600 /- रुपये
5.	चार जोड़ी चांदी के नेत्र, अनुमानित कीमत	300 /- रुपये
6.	पोसाक 50 सेट, अनुमानित कीमत	6000 /- रुपये

श्री श्री 108 श्री ठाकुर रमन जू:

1.	एक चांदी का मुकुट मोर पंख सहित अनुमानित कीमत	4000 /-रुपये
2.	एक छत्र चांदी का, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये
3.	हाथों के चूरा सेट 2 नग, अनुमानित कीमत	3000 /- रुपये
4.	मोती की माला एक, अनुमानित कीमत	1800 /- रुपये
5.	पैरों की पैजनियां दो नग, अनुमानित कीमत	2500 /- रुपये
6.	एक वासुरी चांदी की, अनुमानित कीमत	1500 /- रूपय
7.	पोशाक जड़ाऊ एवं 10 सेट, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये

भगवती माता जानकी जू:

1.	एक मुकुट चांदी का, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये
2.	एक छत्र चांदी का, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये
3.	हाथों की चूड़ियां, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये
4.	एक माला मौती, अनुमानित कीमत	1800 /- रुपये
5.	पैरों की पायल, अनुमानित कीमत	2500 /- रुपये
6.	एक हार चांदी, अनुमानित कीमत	1500 /- रुपये
7.	पोशाक लगभग 10 सेट, अनुमानित कीमत	4000 /- रुपये

परिशिष्ट -2

(लोक न्यास और अचल सम्पत्ती का विवरण)

अचल सम्पत्ति :-

श्री जगदम्बा बड़ी देवी जी मंदिर नजूल आहाता क्रमांक 980 पर निर्मित है, उक्त मंदिर परिसर में तीन मंदिर स्थापित हैं. 1. जगदम्बा बड़ी देवी जी मंदिर, 2. श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर, 3. श्री हनुमान जी मंदिर एवं 25x25 वर्गफुट पर एक कच्चा मकान खपरेल, जो पुजारी निवास है, एक पक्की दालान है, एक भोगशाला पक्की दो मंजिल, एक छपरी टीन चद्दर की श्री श्री 108 श्री ठाकुर जानकी

रमन जू राधारमन जू मंदिर के नाम लगी हुई भूमि स्थित ग्राम पठाखास खसरा नम्बर 123, 147, 148, 476, 477, 478, 700, 701, 727 कुल किता नौ कुल क्षेत्रफल 7.315 हे. शासकीय रिकार्ड में श्री श्री ठाकुर जानकी रमन जू सेवायत पुजारी भगवानदास तनय हरदास प्रबंधक जिला अध्यक्ष महोदय भूमि स्वामी दर्ज है.

मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज जारी.

(665)

प्रेमसिंह चौहान,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास (मैहर), जिला सतना

प्र.क्र.2/वी-113/2015-16.

मैहर, दिनांक 08 जून, 2018

प्रारूप-4

[लोक न्यास अधिनियम (1951 की धारा-30) की धारा 5 की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिये]

आवेदक पंडित सूरज शुक्ला पिता अयोध्या प्रसाद शुक्ला पेशा पूजा-पाठ, निवासी नकतरा, तहसील मैहर, जिला सतना, म.प्र. द्वारा अयोध्या तीर्थ श्री रामजानकी न्यास, ग्राम कटिया कला, तहसील मैहर के नाम से श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के सुचारू व्यवस्था, हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार समाज के कल्याण के लिये सार्वजनिक, परमार्थिक आदि अच्छे कार्यों हेतु म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता के न्यायालय में विचारार्थ नियत है.

अतः उक्त न्यास एवं सम्पत्ति के संबंध में जो भी व्यक्ति कोई हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का बिचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है. उक्त नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति/ सुझाव पर बिचार नहीं किया जावेगा.

1. ट्रस्ट का नाम :- अयोध्या तीर्थ श्री रामजानकी मंदिर न्यास, ग्राम कटियाकला, तहसील मैहर, जिला सतना मध्यप्रदेश.

परिशिष्ट- 'अ'

(न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण)

40000.00 (चाबलिस हजार रुपये) जरिये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, श्रृंगार के रूप में चैन, मंगलसूत्र, सोना करीब 5 तोला, चांदी के सामान जैसे मुकुट, चूड़ा, हार, करीब 2 किलो, अस्टधातु के गदा 5 किलो, कलस.

परिशिष्ट- 'ब'

(न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण)

ग्राम कटियाकला की आराजी नम्बर 450/1/2 रकवा 0.042 हे. श्री राम माता सीता, लक्ष्मण जी की संयुक्त संगमरमर की 3 फुट ऊंची प्रतिमा, भगवान बालकृष्ण की अस्टधातु की करीब दो किलो की 03 नग मूर्तिया, भगवान कृष्ण जी की अस्टधातु की मूर्ति, साईं भगवान की संगमरमर की छोटी मूर्ति, शनि देव की छोटी मूर्ति, हनुमान जी की छोटी प्रतिमा, माँ पिताम्बर जी की करीब 3 फुट ऊंची प्रतिमा, कालीमाता की अस्टधातु की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, माता दुर्गा जी की संगमरमर की करीब एक फुट ऊंची मूर्ति, माता सरस्वती जी की मूर्ति, भगवान शंकर, माता पावती, भगवान गणेश जी की संयुक्त संगमरमर की करीब 3 फुट ऊंची मूर्ति, माता संतोषी जी की 03 फुट ऊंची मूर्ति.

(666)

सुरेश कुमार अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, सोनकच्छ, जिला देवास

रा.प्र.क्र.1/बी-113/2017-18.

सोनकच्छ, दिनांक 20 जून, 2018

फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

क्र./2070/रीडर/18.—आवेदक स्वामी नित्यमुक्तानंद तीर्थ पिता स्वामी श्री शिवमतीर्थ जी प्रबंधक ट्रस्टी अध्यक्ष, निवासी कोटेश्वर धाम,

ग्राम कोटड़ा, सांवेर, तहसील सोनकच्छ की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण लाठी द्वारा पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र के प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अधिवक्ता के मध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त दावे आपत्तियों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल-अचल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री धूमावती शक्तिपीठ श्री कोटेश्वर धाम कोटड़ा सांवेर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.).
पता	:	श्री धूमावती शक्तिपीठ श्री कोटेश्वर धाम कोटड़ा सांवेर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.).
चल-अचल सम्पत्ति	:	10,001/- (दस हजार एक रुपया मात्र)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 20 जून, 2018 को हमारे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(671)

नीरज खरे,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र./वी-113-वर्ष 2017-18.

मौजा-बरियाघाट वार्ड सागर.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू सोनी बम पिता स्व. द्वारका प्रसाद सोनी बम, निवासी पारस टाकीज के पास बरियाघाट वार्ड सागर, मंदिर क्षत्रिय पुरानिया स्वर्णकार समाज श्री राधा कृष्ण अष्टसखी जी मंदिर भट्टोघाट बरियाघाट, वार्ड सागर द्वारा नियम-4(1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "क्षत्रिय पुरानिया स्वर्णकार समाज श्री राधा कृष्ण अष्टसखी जी मंदिर भट्टोघाट बरियाघाट, वार्ड सागर के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके पदाधिकारीगण/सदस्यगण निम्नानुसार हैं:- 1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. महामंत्री, 4. उपमंत्री, 5. कोषाध्यक्ष, 6. संगठन मंत्री, 7. उप संगठन मंत्री, 8. प्रचार मंत्री इन पदाधिकारियों का चुनाव ट्रस्ट के स्थाई 10 सदस्य ही करेंगे।

लोक न्यास का नाम	:	क्षत्रिय पुरानिया स्वर्णकार समाज श्री राधा कृष्ण अष्टसखी जी मंदिर भट्टोघाट बरियाघाट, वार्ड सागर.
पता	:	बरियाघाट, वार्ड सागर
चल सम्पत्ति	:	1. पीतल का घंटा, सीलिंग फेन, दान पैटी, अलमारी, तखत एवं मूर्ति वर्तन सामग्री प्रकरण में संलग्न सूची अनुसार.
अचल सम्पत्ति	:	1. ग्राम सागरखास में स्थित भूमि रकवा 1675.5 वर्गफुट भूमि.
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	1. मंदिर जी का निर्माण कर मंदिर जी की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था करना देव प्रतिमाओं की देखभाल करना एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएं बनाये रखना.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 06 जून, 2018 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

पेशी दिनांक 06 जून, 2018.

जारी दिनांक 16 मई, 2018.

(672)

एल. के. खरे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 07 जून, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/972—जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 20/1963, दिनांक 18 जून, 1963 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/1279 सागर, दिनांक 06/10 मई, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. चढ़ार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश के विरुद्ध की गई अपील माननीय न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर सम्भाग, सागर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/स.रजि.सा./रीडर/2018/709, सागर, दिनांक 20 अप्रैल, 2018 से खारिज करने के कारण आदेश पुनः प्रभावशील हो गया है. श्री एस. एल. चढ़ार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर सेवा निवृत्त हो चुका हैं. अतः श्री एस. एल. चढ़ार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

उक्त आदेश आज दिनांक 07 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(667)

सागर, दिनांक 07 जून, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर,

वि.ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.)

क्र./परि./2018/973.— कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.

1. कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 07 जुलाई, 2012 को सम्पन्न हुआ था. संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 06 जुलाई, 2017 को समाप्त हो गया है. कार्यालयीन आदेश क्र. 1544, दिनांक 17 अगस्त, 2017 से संस्था में प्रशासक नियुक्त है, किन्तु आज दिनांक तक संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है, जिस कारण संस्था की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पा रही है. स्पष्ट है कि संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99 पन्द्रह-1सी. भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(668)

सागर, दिनांक 18 जून, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1047.—मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1311, दिनांक 18 जून, 2018 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/1405, दिनांक 28 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावडुकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/1405, दिनांक 28 जुलाई, 2017 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1311, दिनांक 18 जून, 2018 को संस्था की आभसभा की कार्यवाही एवं निर्वाचन की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुये इस शर्त के साथ कि सोसायटी पुनर्जीवन के एक माह के अन्दर निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी, पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री राकेश दुबे/श्री बंशीधर दुबे	अध्यक्ष
2.	श्री संजयदत्त दुबे/श्री कृष्णदत्त दुबे	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती राखी जैन/श्री अनिल जैन	सदस्य
4.	श्री अभयदत्त दुबे/श्री कृष्णदत्त दुबे	सदस्य
5.	श्रीमति रिचादत्त दुबे/श्री सुनलीदत्त दुबे	सदस्य
6.	श्री सुनीलदत्त दुबे/श्री कृष्णदत्त दुबे	सदस्य
7.	श्रीमति सरला दुबे/श्री कृष्णदत्त दुबे	सदस्य
8.	श्री कृष्णदत्त दुबे/श्री धरणीदत्त दुबे	सदस्य
9.	श्री संजय रावत/श्री महेश रावत	सदस्य
10.	श्री प्रहलाद दुबे/स्व. श्री देवीप्रसाद दुबे	सदस्य
11.	श्रीमति पूनम दुबे/श्री प्रहलाद दुबे	सदस्य

साथ ही निर्देश दिया जाता है कि संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 18 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावडुकर,

उप-पंजीयक.

(669)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं धारा-53 (12) के अंतर्गत]

क्र./उपछि/परि./2018/947.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपछि/परिसमापन/2016/1526, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खिरेटी (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर./सी.डब्ल्यू.ए/718, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009

को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान परिसमापक श्री आर. एन. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, अमरवाड़ा द्वारा उक्त सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 20 मार्च, 2018 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री आर. एन. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्र./उपांछि/परिसमापन/1526, दिनांक 05 मई, 2016 को निरस्त करता हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार अस्थाई प्रबंधकारिणी नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करता हूँ जो निम्नानुसार है:-

1. श्री विष्णु सोनटके	अध्यक्ष	6. श्री जीवन त्रिरोडे	संचालक
2. श्री सुनिल बालकरे	उपाध्यक्ष	7. श्री बालक राम इंगोले	संचालक
3. श्री राजकुमार गुरदे	संचालक	8. श्रीमति सविता बाई	संचालक
4. श्री अजय सिगोतिया	संचालक	9. श्रीमति कमला बाई	संचालक
5. श्री अजाब राव	संचालक		

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 14 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(670)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

[राधौगढ़-विजयपुर (गुना) के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना]

राधौगढ़-विजयपुर, जिला गुना के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 18 मई, 2018 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से अपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 06 जुलाई, 2018 से दिनांक 13 जुलाई, 2018 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी:-

1. आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर.
2. कलेक्टर गुना.
3. उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश गुना.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधौगढ़-विजयपुर.

स्थान: ग्वालियर.

तारीख: 26 जून, 2018

(664)

वी. के. शर्मा,
संयुक्त संचालक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018-आषाढ़ 15 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 जनवरी, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. **जुताई.**— जिला अनूपपुर में जुताई एवं बालाघाट में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी.**— जिला रीवा, अनूपपुर, देवास, अलीराजपुर में कहीं-कहीं पर बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति.**— . .
5. **कटाई.**— जिला सिवनी में फसल तुअर एवं शाजापुर में फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई.**— जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, हरदा जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कम मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 जनवरी, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, सरसों, चना, समान हैं. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, रई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, मैथी, धनिया समान हैं. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ समान. गन्ना, चना अधिक. सरसों, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर अधिक. चना, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनियाँ, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) मसूर, चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, अलसी, मटर, बटरी, अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, आलू कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों, अधिक. गेहूँ, मटर, अलसी, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ कम. अरहर, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगावां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, तूअर अधिक. गेहूँ, जौ, राई-सरसों-कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगावां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गोहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, मसूर, अलसी, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2 जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गोहूँ, चना-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान. अरहर, चना, गोहूँ, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गोहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) राहर, चना, जौ अधिक. गोहूँ कम. अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) गोहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) चना, मसूर अधिक. राई, सरसों-समान. गेहूँ, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) गेहूँ कम. चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य प्रारंभ है.	3. .. 4.(1) चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4.(1) चना, मूँग, रबी, राई-सरसों मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. सोडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) चना, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		गेहूँ, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .		गन्ना समान.		
4. हातोद	. .		(2) . .		
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, चना, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		तुअर, गेहूँ, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		(2) . .		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..			4. (1) चना, मटर, अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..			गेहूँ, तूअर, कम.		चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.			
4. पंधाना	..						
5. हरसूद	..						
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..			4.(1) तुअर कम. कपास समान.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) तूअर सुधरी हुई .		चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..						
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..			4. (1) गेहूँ, चना अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..						
4. ब्यावरा	..						
5. सारंगपुर	..						
6. पचोर	..						
7. नरसिंहगढ़	..						
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..			4. (1) गेहूँ, चना कम.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	..						
7. गुलाबगंज	..						
8. समसाबाद	..						
9. त्योंदा	..						
10. पठारी	..						
11. ग्यारसपुर	..						
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैराढ	..			मटर अधिक.		चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.			
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..			4. (1) चना, मसूर अधिक. गन्ना,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..			समान. तुअर, गेहूँ कम.		चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
4. नसरूल्लागंज	..						
5. रेहटी	..						
6. श्यामपुर	..						
7. जावर	..						
8. बुधनी	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		लाख, अलसी, राई-सरसों,		
4. गोहरगंज	. .		समान हैं.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		अधिक. गेहूँ, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) मटर अधिक. गेहूँ चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मसूर, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		(2) गेहूँ, सुधरी हुई हैं. शेष		
4. पाटन	. .		फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) चना, मसूर, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		सुधरी हुई हैं.		
4. बड़वारा	. .		तुअर, गेहूँ समान हैं.		
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .		4. (1) तुअर कम. चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .				
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, मटर, लाख, तिबड़ा, राई-सरसों अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	. .				
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .				
3. बजाग	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक. (2) चना समान. गेहूँ फसल, सुधरी हुई हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. तामिया	. .				
3. परासिया	. .				
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .				
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर फसल कटाई चालू हैं.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मटर, मसूर, उड़द रबी, मूंग रबी समान. लाख, तिबड़ा कम. गेहूँ, राई-सरसों अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .				
3. कुरई	. .				
4. कवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. फसल धान (रबी) का रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) मौसम रबी की धान समान हैं (2) उपरोक्त फसल समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .				
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्गा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलाँजी	. .				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.